

पत्र संख्या-वन भूमि-21/2021- 3643 व०प०, राँची, दिनांक-22/12/2021

प्रेषक,

जलज कुमार,
उप परामर्शी।

सेवा में,

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय),
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, बंगला नं०-A-2,
श्यामली कॉलोनी, राँची-834002

विषय :- 132 KV D/C बरही-इटखोरी ट्रांसमिशन लाईन निर्माण हेतु चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल अंतर्गत 4.0885 हे० एवं हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल अंतर्गत 24.8509 हे० कुल-28.9394 हे० वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-1262 दिनांक-08.10.2021 एवं पत्रांक-1296 दिनांक-22.10.2021 से प्राप्त मूल प्रस्ताव एवं प्रतिवेदन की छायाप्रति (अनुलग्नक सहित) संलग्न है।

विषयक प्रस्ताव पर राज्य सरकार के निर्णयानुसार निम्नांकित शर्तों के साथ अनुशंसा की जाती है :-

- (i) वनभूमि की वैधानिक स्थिति यथावत् रहेगी।
- (ii) माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुरूप प्रस्तावित 28.9394 हे० वनभूमि के NPV का भुगतान प्रयोक्ता अभिकरण को करना होगा।
- (iii) प्रस्तावित वनभूमि के विरुद्ध मौजा-बागमुण्डी में चिन्हित 10 हे० अवकृष्ट वनभूमि (चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल अंतर्गत) तथा मौजा-चलकुशा अवकृष्ट वनभूमि (हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल अंतर्गत) में चिन्हित 50 हे० अवकृष्ट वनभूमि पर क्षतिपूरक वनरोपण की राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा देय होगी।
- (iv) प्रस्ताव के पार्ट-II में वन प्रमंडल पदाधिकारी, पार्ट-III में वन संरक्षक की अनुशंसा के क्रम में प्रस्तावित शर्तों का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण को बाध्यकारी होगा।
- (v) CWLW के मंतव्य के आलोक में प्रस्तावित शर्तों का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण को बाध्यकारी होगा।
- (vi) अन्य मानक शर्तों का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण को बाध्यकारी होगा।

अनुरोध है कि विषयक प्रस्ताव में अग्रत्तर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनु०-यथोक्त।

विश्वासभाजन

(जलज कुमार)
उप परामर्शी।

ज्ञापांक-वन भूमि-21/2021- 3643 व०प०, राँची, दिनांक- 22/12/2021
प्रतिलिपि-सचिव, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन,
अलीगंज, जोरबाग रोड, नई दिल्ली-110003 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उप परामर्शी।

ज्ञापांक-वन भूमि-21/2021- 3643 व०प०, राँची, दिनांक- 22/12/2021
प्रतिलिपि-प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची/प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी
निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची/वरीय प्रबंधक, ट्रांसमिशन डिवीजन, झारखण्ड ऊर्जा
संचरण निगम लि०, 1st Floor, श्रीगारी कॉम्प्लेक्स, कनेरी हिल रोड, हजारीबाग-825301 को सूचनार्थ एवं
आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उप परामर्शी।

PART – V

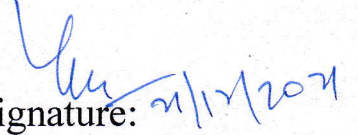
(To be filled by the Secretary in Charge of Forest Department or by any other authorized officer of the State Government not below the rank of an Under Secretary)

Diversion of 28.9394 ha of Forest Land for construction of 132 KV D/C Barhi to Itkhori Transmission Line against NIT 306 Pkg under Hazaribagh West & Chatra South Forest Division.

18. Recommendation of the State Government

(Adverse comments made by any officer of authority in Part- B or Part – C or Part- D above should be specifically commented upon)

Recommended for Diversion of 28.9394 ha of Forest Land with conditions as stated in the forwarding letter no-~~3643~~ dated-~~22/12/2021~~.

Signature: 

Name & Designation: Rajdeep Sanjay Lal John

Joint Secretary

Forest, Environment & Climate Change Department,
Jharkhand Ranchi.

संयुक्त सचिव
वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
झारखण्ड, राँची

(Official Seal)

Date:

Place: Ranchi